(ग) 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं, उनके आरंभ होने की तारीख तथा लागत आदि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के पृष्ठ 46 से 56 में दिया गया है।

Welfare of Labourers in Agriculture and Building Construction

3422. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) State-wise number of labourers working in agriculture and building construction;

(b) schemes formulated for the welfare of these labourers during the year; and

(c) the amount allocated to each State for this purpose?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) A statement is annexed at Statement-I (*See* below).

(b) The Government are implementing a number of poverty alleviation and employment generation schemes like IRDP, JRY EAS, IAY, TRYSEM, DWCRA etc., which are designed especially to benefit rural poor including landless agricultural labourers. The Government have enacted the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 for the benefit of construction workers which, inter-alia, provide for setting up a welfare Fund at State level to formulate various welfare and social security schemes for this category of workers.

(c) A statement giving allocation for 95-96 under IRDP, JRY, EAS etc. is annexed at Statement-II (*See* below) An allocation of Rs. 3 crore has been proposed during the remaining part of 1996-97 for carrying out the purposes of the new legislation for building workers.

(ग) सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं जो सभी राज्यों में लागू है जिनमें गुजरात तथा इसका सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात क्षेत्र शामिल है। फिर भी, सरकार के पास मछली भण्डारण तथा मछली आहार कारखानों की स्थापना के लिए योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है, यद्यपि, एम्पीडा के माध्यम से एक त्रुटिपूर्ण कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन में सहायता देने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश की राशि

3421. **श्री अजीत जोगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1996 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) प्रत्येक उद्यम के वार्षिक उत्पादन, लाभ/घाटे और कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश किए जाने का विचार है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि तक की लेखापरीक्षित सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के छह उपक्रम अर्थात् फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, एन०टी०सी० (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में है। निवेश, बिक्री के संदर्भ में वार्षिक उत्पादन, लाभ/हानि और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सूचना संसद के दोनों सदनों में 19.7.1996 को प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के विवरण संख्या 16, 7क, 7ख, 12 और 13 में दी गई है।